न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक

(सुश्री रजनी मीना आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

प्रा.पत्र संख्याः– 29 / 2020

निर्णय दिनांकः– 01.04.2021

उनवान

1. जल्लोबाई पत्नी नन्दकिशोर जाति दरोगा निवासी उनियारा तहसील उनियारा जिला टोंक
2. जनकी पुत्र नन्दकिशोर जाति दरोगा निवासी उनियारा तहसील उनियारा जिला टोंक
3. भंवरसिंह पुत्र नन्दकिशोर जाति दरोगा निवासी उनियारा तहसील उनियारा जिला टोंक
4. सत्यनारायण पुत्र नन्दकिशोर जाति दरोगा निवासी उनियारा तहसील उनियारा जिला टोंक
5. सीता पुत्री नन्दकिशोर जाति दरोगा निवासी उनियारा तहसील उनियारा जिला टोंक

–वादीगण

बनाम

1. कैलाश चन्द पुत्र बाबूलाल जाति ब्राहमण(पालीवाल) निवासी वार्ड न0 11 उनियारा तहसील उनियारा जिला टोंक
2. श्रीमति जसौदा पत्नी कैलाश चन्द जाति ब्राहमण(पालीवाल) निवासी वार्ड न0 11 उनियारा तहसील उनियारा जिला टोंक

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितः– श्री प्रेमचन्द जैन वकील वादीगण

निर्णय

वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्रके संक्षेप में निम्नप्रकार है–

यह है कि वादीगण के खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी खसरा नम्बर 166 / 7 रकबा 1.71 है0 वाके ग्राम छोटी व बडी पागडी तहसील उनियारा जिला टोंक है। उपरोक्त वर्णित आराजी में चारों ओर से मिट्टी की डोल लगा रखी है। प्रतिवावादगण का उक्त वर्णित भूमि से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। परन्तु कुछ समय से प्रतिवादीगण के मन मे बेईमानी आ गई है , वह वादीगण की आरजीयात में जबरन मजाहेमत व मदाखलत बेजा करने पर आमाद है। तथा कब्जा करने पर उतारू है। यदि प्रतिपक्षीगण को पाबन्द नही किया गया तो वादीगण को अपने जायज हक से वंचित होना पडेगा।

अतः वाद शपथ–पत्र प्रस्तुत कर यह अधियाचना हे कि प्रतिवादीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वह वादीगण की खातेदारी व काबिज काश्त उपरोक्त वर्णित आराजीयात में किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत नहीं करे और न ही अन्य से करावें।

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

D:\satya\revenue\FESLA\[illegible]1.docx174

उक्त वाद पेश होने पर रिपोर्ट सरिस्त ली जाकर वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण बात तामील अनुपस्थित । अतः प्रतिवादीगण के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही की जाती है।

वादीगण ने अपने वादी पत्र के समर्थन मे निम्न दस्तावेजात नकल जमाबन्दी सम्वत 2069–74 वाके ग्राम छोटी व बडी पागडी प्रदर्श 1, नकला नक्शा ट्रेस ग्राम ग्राम छोटी व बडी पागडी प्रदर्श 2, नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2075 ग्राम ग्राम छोटी व बडी पागड़ी प्रदर्श 3 पेश किये है।

वादीगण ने अपने वादी पत्र के समर्थन मे p.w. 1 भवंरसिह पुत्र नन्दकिशोर जाति दरोगा, p.w. 2 बबलू पुत्र किशनलाल जाति काछी निवासी गोडो की झोपडिया के शपथ पत्र पेश किया ।

विद्वान अधिवक्ता वादीगण के वकील की बहस सुनी गई दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि उक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की है। हैं। जिसमें प्रतिवादीगण बिना किसी हक व अधिकार के कब्जा करने पर आमादा है। प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे उक्त वार्णित आराजीयात में किसी प्रकार मजाहेमत व मदाखलत नही करे। अतः वाद वादीगण डिकी किया जाकर प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावे।

वाद पत्र में विद्वान अधिवक्ता वादीगण के वकील की बहस सुनी बहस पर गौर किया गया। पत्रावली व उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया गया। नकल जमाबन्दी सम्वत 2069–74 खाता संख्या 37 वाके ग्राम छोटी व बडी पागडी खसरा नम्बर 166/7 रकबा 1.71 है0 वादीगण की खातेदारी दर्ज रिकार्ड है तथा नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2075 वाके ग्राम छोटी व बडी पागडी उक्त खसरान नम्बरान से वादीगण की कब्जे काश्त की आराजी है। जिसमें प्रतिवादीगण बिना किसी हक व अधिकार के कब्जा करने पर आमादा है।

उपरोक्त विवेचन से न्यायालय वाद वादीगण के वाद को डिकी किया जाना उचित समझता हैं। अतः वाद वादीगण डिकी किया जाकर प्रतिवादीगण को हमेशा हमेशा के लिये जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण के खातेदारी व कब्जे काश्त की खसरा नम्बर 166/7 रकबा 1.71 है0 वाके ग्राम छोटी व बडी पागडी तहसील उनियारा जिला टोंक मे किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत नही करे ना ही किसी अन्य से करावे। पर्चा डिकी जारी हो। फरीकेन खर्च अपना अपना वहन करे।

यह निर्णय आज दिनांक 09.04.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सुश्री रजनी मीणा
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी उनियारा
जिला टोंक

D:\satya\revenue\FESLA\Faisla 1.docx175

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक
(डिकी मुकदमा इब्तदाई)

उनवान

1. जल्लोबाई पत्नी नन्दकिशोर जाति दरोगा निवासी उनियारा तहसील उनियारा जिला टोंक
2. जनकी पुत्र नन्दकिशोर जाति दरोगा निवासी उनियारा तहसील उनियारा जिला टोंक
3. भंवरसिंह पुत्र नन्दकिशोर जाति दरोगा निवासी उनियारा तहसील उनियारा जिला टोंक
4. सत्यनारायण पुत्र नन्दकिशोर जाति दरोगा निवासी उनियारा तहसील उनियारा जिला टोंक
5. सीता पुत्री नन्दकिशोर जाति दरोगा निवासी उनियारा तहसील उनियारा जिला टोंक

—वादीगण

बनाम

1. कैलाश चन्द पुत्र बाबूलाल जाति ब्राहमण(पालीवाल) निवासी वार्ड न0 11 उनियारा तहसील उनियारा जिला टोंक
2. श्रीमति जसौदा पत्नी कैलाश चन्द जाति ब्राहमण(पालीवाल) निवासी वार्ड न0 11 उनियारा तहसील उनियारा जिला टोंक

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर :— 29 वर्ष 2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू सुश्री रजनी मीणा आर0ए0एस0 ब हाजरी श्री प्रेम चन्द जैन वकील वादीया मिनजानिब मुद्दइ व श्री .... वकील मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि प्रतिवादीगण को हमेशा हमेशा के लिये जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी आराजी खसरा नम्बर 166/7 रकबा 1.71 है0 वाके ग्राम छोटी व बडी पागडी तहसील उनियारा जिला टोंक मे किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत नही करे और ना ही किसी अन्य से करावे। फरीकेन खर्च अपना अपना वहन करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 09 माह 04 सन् 2021 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
उनियारा जिला टोंक

D:\satya\revenue\FESLA\Faisla 1.docx176